न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/68/2019	01–08–2019	29–01–2020

01– रामसिंह पुत्र रूड़ा जाति चमार निवासी कस्बा रामगढ़ तहसील रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

–अपीलांट

बनाम

01– तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर राज0।

–रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रामगढ़ का निर्णय दिनांक 11.07.2019

उपस्थितः–

01–श्री जगदीश चंद सतीजा –वकील अपीलांट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 11.07.2019, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा एक प्रा0पत्र जिला कलक्टर अलवर के यहां प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि अपीलांट व उसके परिवार की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 828, 829, 830 वाके ग्राम पूठी तहसील रामगढ़ में स्थित है। जिस आराजी पर काबिज रहकर अपीलांट व उसका परिवार गरीब अनुसूचित जाति के सदस्य होने के कारण बातुश्किल अपना जीवन यापन कर रहे है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 829/1.02 है0 में से 0.01 है0 रकबे को अनाधिकृत रूप से मृतक टिन्ना व उसके मरने के बाद उसके लड़के अकबर, ईसब, साबुदीन, लीला, खुर्शीद जाति नाई मुसलमान द्वारा अवैध कब्जा कर लिया है। जिस आवेदन पत्र को माननीय जिला कलक्टर अलवर के आदेश मुताबिक पी. जी. में कार्यवाही करते हुए तहसीलदार रामगढ़ रैस्पो0 को अंतर्गत धारा 183 बी मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार रामगढ़ ने दि0 10.01.06 को दोनों पक्षों को सुनकर बमुतार्बिक पैमाईश दि0 25.06.05 यह तथ्य प्रमाणित पाया कि अपीलांट व उसके परिवार की 0.01 है0 भूमि खसरा नम्बर 833 में मिली हुई है तथा उपरोक्त व्यक्तियों को बेदखल करने के आदेश पारित कर दिये गये। जिस ओदश के विरूद्ध अतिक्रमियों द्वारा मान. न्याया0 अति0 जिला कलक्टर अलवर के यहां अपील दायर की गई, जो दि0 03.05.06 को खारिज फरमायी। जिस निर्णय के विरूद्ध –

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

अतिक्रमियों के द्वारा न्याया0 राजस्व अपील अधिकारी अलवर के यहां अपील पेश की जो दि0 17.06.08 को खारिज की गई। तद्उपरांत मान. राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी पेश की गई जो भी खारिज हुई। अर्थात् विधिक दृष्टि से रैस्पो0 न्याया0 का आदेश दिनांक 10.01.06 अंतिम रहा है। अधीनस्थ न्याया0 के आदेश जो संबंधित अंतिम सर्वोच्च न्याया0 से विधिक दृष्टि से मान्य रहा, मात्र उसकी पालना हेतु खसरा नम्बर 829/1.02 है0 में से, खसरा नम्बर 833 में मिला हुआ रकबा 0.01 है0 को मुताबिक पैमाईश दि0 25.06.05 के अनुरूप दखल दिलाने का दायित्व था। इससे अधिक कोई अन्य कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं था। किन्तु अधीनस्थ न्याया0 द्वारा अन्य सभी न्यायालयों के निर्णयों को अनदेखा कर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दि0 11.07.2019 निरस्त फरमाया जाकर निर्णय दि0 10.01.06 की पालना कराई जाकर अतिक्रमित रकबे पर अपीलांट को दखल दिलाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश दि0 11.07.2019 का अवलोकन करने से पाया गया कि दि0 11.07.2019 मात्र पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट है। इस न्यायालय को तहसीलदार के निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार है, जबकि अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के विरूद्ध अपील पेश की गयी है। उक्त दिनांक को पत्रावली पर तहसीलदार रामगढ़ द्वारा कोई आदेश किया जाना नहीं पाया जाता है। उक्त आलोक में अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रेकॉर्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील लेख भंडार हो।

निर्णय आज दिनांक 29–01–2020 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) ALWAR (RAJ.)

29/01/2020

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)